तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2003 / 2462 / गंगानगर** **गोपालराम (मृतक) जरिये वारिसान *बनाम* ओंकारमल (मृतक) जरिये वारिसान वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/12/25	**एकल–पीठ** **श्री केसर लाल मीणा, सदस्य** **–––––** **उपस्थित :** 1– श्री अमृतपाल सिंह वानर, विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता/प्रार्थी। 2– श्री वैभव कृष्ण पारिक, विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता/ अप्रार्थी संख्या–1. 3– शेष अप्रार्थीगण की तलबी बंद की गई (आदेशिका दि. 26–11–2025.) ––––– **निर्णय** 1– हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के तहत् न्यायालय उप जिला कलक्टर, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण संख्या–24/2003, बउनवानी गोपालराम उर्फ रामगोपाल बनाम रेशी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 06–05–2003 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके माध्यम से अप्रार्थी संख्या–1 ओंकारमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–1 नियम–10 सीपीसी को स्वीकार किया गया। 2– निगरानी याचिका के अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89, 92(ए) एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया, जिसमें पक्षकार बनने हेतु अप्रार्थी संख्या–1 ओंकारमल द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–1 नियम–10 सीपीसी पेश करने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या–1 को प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने बाबत् पारित आदेश दिनांक 06–05–2003 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह निगरानी याचिका मण्डल में पेश की। 3– उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–41 नियम–27 सपठित धारा–151 सीपीसी एवं निगरानी के गुणावगुण पर सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश–41 नियम–27 सपठित धारा–151 पेश किया गया, जिसकी प्रति अधिवक्ता अप्रार्थी को दिलवाई गई। प्रार्थना पत्र के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी का यह तर्क रहा है कि संलग्न दस्तावेजात इस प्रकरण में अहम है जो प्रमाणित प्रतियां होने से एवं इन्हें रेकार्ड पर लिये जाने से इस प्रकरण में अहम भूमिका रखते है एवं प्रकरण के निर्णय में सहायक सिद्ध है। अतएव इन्हें अभिलेख पर लिया जाये। 4– इसके विरोध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रस्तुत दस्तावेजात जुगलाल, कालूराम, मनीराम के व्यक्तिगत शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत सतजन्डा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र है, जो श्योपारी की मृत्यु के समर्थन में पेश किये गये है जो सक्षम न्यायालय की आज्ञप्ति के अभाव में विधि में इनका कोई मूल्य नहीं है। जबकि हस्तगत प्रकरण आदेश–1 नियम–10 सीपीसी से संबंधित है तथा अप्रार्थी द्वारा पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना हित दर्शित किया गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत शपथ पत्रों के आधार पर ऐसे दस्तावेजात से प्रार्थी कोई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 2003 / 2462 / गंगानगर गोपालराम (मृतक) जरिये वारिसान *बनाम* ओंकारमल (मृतक) जरिये वारिसान वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। अतएव प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

5– उभय पक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में उक्त दस्तावेजात पेश किया जाना प्रतीत होता है, जिन्हें रेकार्ड पर लिये जाने से किसी पक्ष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने व प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण में उक्त दस्तावेजात सहायक होने से इन्हें अभिलेख पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

6– प्रकरण के गुणावगुण के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि मु. तुलछा की खातेदारी भूमि है तथा यह विवादित भूमि दस्तावेज दिनांक 19–09–1953 के आधार पर प्रार्थी वादी के हक में निहित है तथा मु. तुलछा की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी के कब्जे काश्त में है। उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी वादी विवादित भूमि का खातेदार टिनेन्ट हो चुका है। इस दस्तावेज के आधार पर चाहे गये अनुतोष में प्रार्थी किसी भी तरह से आवश्यक पक्षकार नहीं है। प्रार्थी को प्रश्नगत वसीयत दिनांक 23–07–1979 के आधार पर मु. जैता की विवादित भूमि में किसी प्रकार के हक व हकूक प्राप्त नहीं है। आगे यह भी कथन किया कि प्रार्थी वादी ने इससे पूर्व एक वाद गोपालराम बनाम सोहनलाल प्रस्तुत किया था उसमें तुलछा मृतक की एकमात्र पुत्री श्योपारी थी जिसके लाऔलाद फौत होने के कारण दावे में मृतक फूसाराम के वारिसान ही मु. तुलछा के जायज वारिसान न्यायालय द्वारा माना गया। इससे यह साबित है कि अप्रार्थी संख्या–1 ओंकारमल किसी भी तरह के वारिस नहीं है तथा उक्त वाद से इनका कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य अर्ज किये थे कि मु. तुलछा का देहान्त हो गया तथा उसकी एक पुत्री श्योपारी है जिसका देहान्त सन् 1957 में गांव सतजन्डा में लाऔलाद फौत हो गई थी। अप्रार्थी ओंकारमल श्योपारी का लड़का होना जाहिर करता है, जबकि श्योपारी को फौत हुए 46 वर्ष हो गये और ओंकारमल की उम्र उसके स्वयं के परिपत्र व राशन कार्ड के अनुसार वर्तमान में 42 वर्ष बनते है जिससे यह साबित है कि वह श्योपारी का पुत्र नहीं है, इसलिये उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 का कोई लोकस नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी दस्तावेज के ही प्रभावित पक्षकार मानते हुए आदेश पारित कर दिया है, जबकि उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थी गोपालराम का दस्तावेज दिनांक 19–09–1953 के आधार पर हक व अधिकार है, जो आज दिनांक तक प्रभाव में है। अप्रार्थी संख्या–1 कतई हितबद्ध, व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–05–2003 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

7– उक्त कथनों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने निवेदन किया कि श्योपारी के अप्रार्थी ओंकारमल पुत्र थे तथा श्योपारी का देहान्त तुलछा बेवा हनुमान के जीवनकाल में ही हो गया था, इसलिये तुलछा बेवा हनुमान का एकमात्र वारिस अप्रार्थी ओंकारमल है और अप्रार्थी का विवादित भूमि में आधा हिस्सा है। अप्रार्थी श्योपारी का उत्तराधिकारी होने से विवादित भूमि का हकदार है, इसलिये अप्रार्थी तुलछा व श्योपारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2003 / 2462 / गंगानगर** **गोपालराम (मृतक) जरिये वारिसान *बनाम* ओंकारमल (मृतक) जरिये वारिसान वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के देहान्त के पश्चात् इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं। मु0 तुलछा अप्रार्थी की नानी थी और तुलछा अप्रार्थी के साथ रहती थी। तुलछा का देहान्त अप्रार्थी के पास हुआ है। तुलछा ने विवादित भूमि व अन्य सारी चल व अचल संपत्ति की वसीयत भी दिनांक 23-07-1979 को अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करवाई थी। जिला न्यायालय, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 29-06-1987 के द्वारा मृतक पोकरराम पुत्र धन्नाराम द्वारा छोड़ी गई 16 बीघा चक 11 एस ए डी व इसी प्रकार 16 बीघा भूमि चक 12 एस ए डी में गोपालराम, फूसाराम व सोहनलाल व मु0 तुलछा का हक माना गया है एवं मु0 तुलछा के द्वारा अप्रार्थी ओंकरमल के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 23-07-1979 को की गई जो विवादित भूमि की है। इस प्रकार अप्रार्थी वाद में आवश्यक पक्षकार है तथा प्रार्थी द्वारा जानबूझकर अप्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश-1 नियम-10 सीपीसी पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरांत अप्रार्थी को प्रकरण में हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार मानते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। चूंकि निगरानी का दायरा अत्यंत सीमित है। आक्षेपित आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-1 नियम-10 में विहित प्रावधानों के तहत् पारित किया गया है, जिसमें विधि या तथ्य संबंधी कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाये। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या-1 ने अपने पक्ष समर्थन में 2004 (3) डी.डब्ल्यू.जे. (राज.) एचसी 1290, 2017 (1) आरआरटी 88, 2011 (1) आरआरटी 707, 2023 (1) डी.डब्ल्यू.जे. (रेवेन्यू) 338, 2015 आरबीजे 236 (एसची) एवं 1987 आरआरडी 46 इत्यादि न्यायिक दृष्टांत पेश कर ध्यान आकृष्ट करवाया गया। 8- उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में आक्षेपित आदेश का भी अवलोकन किया गया। 9- पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी/प्रार्थी गोपालराम उर्फ रामगोपाल ने विवादित भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा'88, 89, 92 (ए) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादीगण रेशी वगैरह पेश किया, जिसके विचारण के दौरान अप्रार्थी ओंकारमल ने पक्षकार बनने हेतु अंतर्गत आदेश-1 नियम-10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार करते हुए आक्षेपित आदेश के माध्यम से अप्रार्थी ओंकारमल को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित कर लिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी याचिका मण्डल में पेश की है। वादी प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुति का मुख्य आधार जेता पत्नी पोकरराम द्वारा उसकी खातेदारी भूमि बाबत् प्रार्थी वादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 19-09-1953 के आधार पर खातेदारी घोषणा का है, वहीं दूसरी ओर अप्रार्थी ओंकारमल ने जेता की एकमात्र पुत्री तुलछा द्वारा अपने दोहिता अप्रार्थी ओंकारमल के पक्ष में पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 23-07-1979 एवं जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 29-06-1987 के आधार पर प्रकरण में पक्षकार बनने हुए आवेदन किया, जिसे विचारण न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रार्थी ओंकारमल को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिनांक 06-05-2003 को प्रदान किया है। मूल वाद जेता बेवा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2003 / 2462 / गंगानगर** **गोपालराम (मृतक) जरिये वारिसान *बनाम* ओंकारमल (मृतक) जरिये वारिसान वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पोकरराम की विवादित भूमि की घोषणा के संबंध में है। तुलछा बेवा हनुमान जेता की पुत्री है एवं तुलछा ने प्रार्थी विक्रांत के पिता ओंकारमल (दोहिता) के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 23-07-1979 को पंजीबद्ध किया गया। अतः उक्त दस्तावेजात के संबंध में अन्य कोई टिप्पणी नहीं करते हुए अप्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार प्रतीत होते है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त दस्तावेजात के आलोक में अप्रार्थी ओंकारमल को आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार मानते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। पत्रावली में यह भी तथ्य उजागर होता है कि निगरानी के विचाराधीन रहते अप्रार्थी ओंकारमल का देहान्त हो चुका है तथा स्व. ओंकारमल के वारिसान की ओर से अप्रार्थी विक्रांत स्वयं मुख्तारआम की हैसियत से उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर पैरवी की गई है। प्रार्थी द्वारा निगरानी याचिका में प्रार्थना पत्र आदेश-41 नियम-27 सीपीसी के तहत् प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन पश्चात् इस एकल पीठ का यह मत है कि प्रार्थी द्वारा उठाये गये समस्त आक्षेपों का निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य ही निर्णित किये जा सकेंगे। हस्तगत निगरानी आदेश-1 नियम-10 सीपीसी से संबंधित है, जिसमें वारिसान जैसे जटिल प्रश्न का अवधारण नहीं किया जा सकता है। वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को पक्षकार बनाये जाने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अप्रार्थी पक्ष को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर मिल सकेगा। प्राकृतिक न्याय का मूलभूत सिद्धांत है कि प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

10- इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार इस एकल पीठ का विनम्र मत है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के आलोक में अप्रार्थी ओंकारमल को प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार पाते हुए उसे अपना पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान किया है। निगरानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश में ऐसी कोई त्रुटि जाहिर नहीं होती है, जिसके माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतएव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

11- परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17/12/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केसर लाल मीणा)
सदस्य